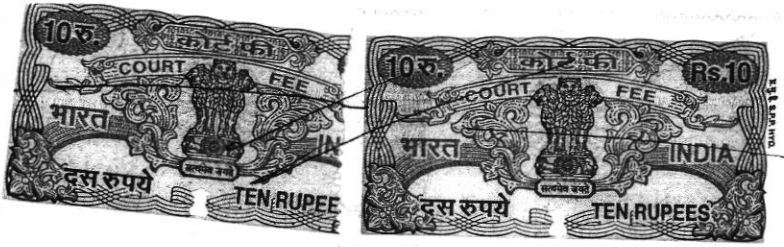

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व निगरानी क्रमांक /2014

R-4000-III-14

कमल सिंह आत्मज श्री अमर सिंह मेवाड़ा,
आयु वयस्क, निवासी ग्राम मालीपुरा,
तहसील आष्टा, ज़िला सीहोर .... **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा ज़िला कलेक्टर (खनिज शाखा)
ज़िला सीहोर .... **उत्तरदाता**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

न्यायालय कलेक्टर महोदय (खनिज शाखा), ज़िला सीहोर के द्वारा मामला क्रमांक 01/अपील/2014–15 (कमल सिंह विरूद्ध शासन) में पारित दिनांक 12.11.2014 से दुःखी एवं परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस तथ्यों एवं वैधानिक बिन्दुओं पर समय सीमा में सादर प्रस्तुत हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

——

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 4000—तीन / 14 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5—12—2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 12—11—2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में 17,64,720 / — का बाजार मूल्य माना है, परन्तु अर्थदण्ड 70,58,880 / —रूपये अधिरोपित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा उसे लीज पर मिली भूमि पर ही उत्खनन किया गया है और अन्य भूमि पर अवैध उत्खनन नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से आवेदक को दोहरी अपूर्णीय क्षति हो रही है । एक तरफ उससे 70,58,880 / — रूपये की वसूली की जा रही है, दूसरी और उसके द्वारा किये जा रहे उत्खनन को रोकने से वह रायल्टी भी अदा नहीं कर पा रहा है । आवेदक की ओर से तर्क के समर्थन में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा अन्य शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन नहीं कर उसे लीज पर प्राप्त भूमि पर ही उत्खनन किया जा रहा है और न ही ऐसा कोई	

प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि उससे राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा स्थगन नहीं देने में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष